न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर

पीठासीन अधिकारी – श्री रवीन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

मुकदमा नं. 108/2021

प्रार्थीगण –

1. राजेन्द्र पुत्र नेनाराम दत्तक पुत्र पुरखाराम जाति –जाट निवासी– बोड़वा तहसील–जायल

बनाम

अप्रार्थीगण –

1. गीतादेवी पत्नि पुरखाराम जाट निवासी बोड़वा तहसील जायल
2. तहसीलदार जायल

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आदेश 39 नियम 4 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

1. अधिवक्ता श्री शेलेन्द्रसिंह कालवी प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री बस्तीराम ढाका अप्रार्थी सं. 1 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 2 उपस्थित।

– : : आदेश : :–

दिनांक : 27/6/2022

1. प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत् अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के मूल दावा संख्या 300/2021 उपरोक्त उनवानित प्रकरण में पत्रावली नियत तारीख पेशी दिनांक 20.06.2022 को बहस वकुलाय उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी जायन्दा पुत्र नेनाराम का है लेकिन उसे उसकी बाल्यावस्था में ही श्री नेनाराम के बड़े भाई पुरखाराम ने गोद ले लिया था। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी की दतक माता है क्यों कि श्री पुरखाराम के कोई संतान नहीं थी। इसलिए उन्होने तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी को उसकी बाल्य अवस्था में सवत् 2050 की आखातीज के मांगलिक अवसर पर ही गोद लिया था। उस समय प्रार्थी को उसके जायन्दा माता पिता ने स्व. पुरखाराम तथा अप्रार्थी संख्या 1 गीता की गोद में बिठाया , गीत गाये ,गुड़ बांटा, मोलिया बंधवाया तथा परिवारजनों ओर बास गुवाड़ी के लोगों तथा गांव के मौजिज लोगों का इक्कठा करके गोद की रस्म अदा की तथा उसके बाद से ही प्रार्थी गोद पुत्र की हैसियत से स्व. पुरखाराम तथा अप्रार्थी संख्या 1 के साथ ही रहा तथा उनके साथ ही खेती बाड़ी करता रहा है। गोदनामा का पंजीयन कानूनी जानकारी के अभाव में नहीं करवाया जा सका था। लेकिन कोई विवाद न हो इसलिए याददाश्त के तौर पर दिनांक 14.8.2014 को स्व. पुरखाराम ने एक लिखित गोदनामा की रूपये 100/– के स्टाम्प पर जायल में करवाई जिस पर स्वयं पुरखाराम अपना अंगुठा निशान किया । प्रार्थी के जायन्दा माता पिता नेनाराम तथा परमादेवी ने अपने हस्ताक्षर तथा अंगुठा निशान किये साक्षी के तौर पर बोड़वा निवासी शैतानाराम पुत्र दोलाराम व नराधना निवासी अर्जुनराम व नाथूराम के हस्ताक्षर करवाये तथा नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवाकर प्रमाणित करवाया। लेकिन गोदनामा के पंजीयन होने से संबधित ज्ञान नहीं होने के कारण गोदनाम पंजीयन नहीं करवाया जा सका। लेकिन तब से लेकर प्रार्थी स्व.पुरखाराम के स्वर्गवास अभी कुछ महीने पहले कोरोना के कारण होने तक तथा उसके बाद भी अप्रार्थी संख्या 1 गीतादेवी के साथ उनके पुत्र की हैसियत से रहता आया है। स्व. पुरखाराम की पुश्तैनी तथा प्रार्थी और पुरखाराम की संयुक्त कमाई से खरीदशुदा भूमियां जो मौजा बोड़वा तहसील जायल में खसरा नम्बर 484 रकबा 2.5738 हैक्टेयर , खसरा नम्बर 508 रकबा 2.8733 हैक्टेयर तथा ख.न. 1190/515 रकबा 0.8094 हैक्टेयर रहती आयी है। इसमें से ख.न. 1190/515 प्रार्थी तथा पुरखाराम की संयुक्त कमाई से खरीदसुदा है लेकिन महिलाओं के नाम रजिस्ट्री करवाने में खर्चा कम होने से रजिस्ट्री अप्रार्थी संख्या 1 के नाम करवाई

27/6/2022

थी। बाकी यह भूमि भी स्व. पुरखाराम तथा प्रार्थी की ही है। लेकिन उपरोक्तानुसार गोदनामा का पंजीयन नहीं होने के कारण अभी प्रार्थी के दत्तक पिता पुरखाराम का स्वर्गवास होने पर फौतगी नामा0 में पटवारी हल्का ने प्रार्थी का नाम नहीं चढाया तथा अकेले अप्रार्थी संख्या 1 के नाम नामा0 दर्ज कर दिया लेकिन इस पर वर्तमान में कब्जा काश्त श्री पुरखाराम का स्वर्गवास हो जाने के बाद अकेले प्रार्थी का ही है क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 तो वृद्ध है तथा बीमार रहती है इसलिए खेतीबाड़ी नहीं कर पाती है। लेकिन आजकल अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी से द्वेषता रखने वाले लोगो के बहकावे में आकर किसी अन्जान व्यक्ति को खातेदारी की आड़ में प्रार्थी के हक हिस्से व कब्जा काश्त की भूमि का बैचान करने पर आमादा है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आदेश 39 नियम 1, 2 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश पारित कर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद मौजा बोड़वा तहसील जायल में खसरा नम्बर 484 रकबा 2.5738 हैक्टेयर , खसरा नम्बर 508 रकबा 2.8733 हैक्टेयर तथा ख.न. 1190/515 रकबा 0.8094 हैक्टेयर की भूमि में कब्जा काश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करने,मौके की स्थिति में परिवर्तन नही करने एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत् पाबंद किया जाने का निवेदन वकील प्रार्थी ने किया।

2. वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने दौराने बहस वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को सिरे से खारिज करते हुए अपनी दलीलें पेश की तथा निवेदन किया कि प्रार्थी ने गलत तथ्यों के आधार पर वाद/प्रार्थना पत्र पेश किया है । प्रार्थी राजेन्द्र को अप्रार्थी के पति पुरखाराम के द्वारा कभी गोद नहीं लिया गया था। प्रार्थी को बाल्या अवस्था में गोद लिये जाने का कथन मिथ्या व मनगढत है बल्कि वास्तविकता में अप्रार्थी गीतादेवी के पति पुरखाराम एंव प्रार्थी के पिता नेनाराम के बिच अनबन थी तथा मनमुटाव के चलते बोलचाल भी बन्द थी। प्रार्थी को संवत् 2050 के आखातीज के अवसर पर गोद लिये जाने , गीत गाये जाने , गुड़ बांटा जाना , बास गुवांडी के लोगो के इक्कठा करना , मोलिया बांधी जाने के सम्पूर्ण मिथ्या कथन व मनगढ़त तथा निराधार है तथा न ही प्रार्थी कभी अप्रार्थी संख्या 1 के साथ रहा है। यह सम्पूर्ण मनगढ़त कहानी अप्रार्थी संख्या 1 की जमीन , जायदाद हड़पने की नियत से बना रहा है जबकि प्रार्थी अपने ननिहाल गांव साडोकन में रहता है। प्रार्थी के सभी दस्तावेज भी उनके जायन्दा पिता के साथ है। प्रार्थी को यह कथन गलत है कि दिनांक 14.8.2014 को स्व0 पुरखाराम ने कोई 100/– के स्टाम्प पर जायल में कोई लिखा पढ़ी कराई। अप्रार्थी के पति ने अपने जीवनकाल में अप्रार्थी के द्वारा कोई अंगुठा निशानी करायी गयी है इसके बारे में बात कभी नहीं बताई। जबकि अप्रार्थी के पति के करीब 40 वर्षो से कोई बोल–चाल नहीं थी। प्रार्थी एक आवारा किस्म का व्यक्ति है जो कभी अपने मामा के साथ रहता है वहां से निकाल देने पर अपने पिता नेनाराम के साथ रहता है। प्रार्थी ने कोई लिखा–पढ़ी करा रखी है वह फर्जी है । शैतानराम प्रार्थी के काका लगता है तथा अर्जूनराम व नाथूराम नेनाराम के भान्जे है जो प्रार्थी के पक्ष के लोग है। यह सभी लोग षड़यंत्र से प्रार्थी को आगे कर जमीन जायदाद हड़पना चाहते है। प्रार्थी का यह कथन भी स्वीकार योग्य नहीं है कि उसे गोदनाम पंजीयन किये जाने सबंधि काई कानूनी जानकारी नहीं रही हो। प्रार्थी का यह कथन भी गलत है कि प्रार्थी एंव स्व0 पुरखाराम की संयुक्त कमाई से ग्राम बोड़वा में कोई खेत खरीदकर अप्रार्थी संख्या 1 के नाम कराया हो बल्कि प्रार्थी कभी भी अप्रार्थी के घर में नहीं रहा है। यह दावा व प्रार्थना पत्र सम्पूर्ण मनगढ़त व मिथ्या रूप से अप्रार्थी के पति पुरखाराम की मृत्यू होने के पश्चात् अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि हड़पने की नियत से पेश किया गया है । जब प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 व उनके पति द्वारा कभी गोद लिया ही नहीं गया तो नामा0 दर्ज कैसे होगा । मौजा बोड़वा के खेत ख.न. 484 , 508 , 1190/515 अप्रार्थी संख्या 1 के पति स्व0 पुरखाराम के थे एंव ख.न. 1190/515 अप्रार्थी संख्या 1 का खरीदशुदा है। सभी खेतों की खातेदारी एंव कब्जा काश्त अप्रार्थी संख्या 1 का ही है प्रार्थी का कोई कब्जा काश्त नहीं है। प्रार्थी बदनियति से अप्रार्थी संख्या 1 वृद्ध असहाय औरत होने से उनकी खातेदारी भूमि हड़पना चाहता है जिसके लिए प्रार्थी के द्वारा उक्त खसरान् की भूमि पर माननीय न्यायालय से स्थगन आदेश भी प्राप्त कर रखा है। स्थगन आदेश प्रभावी होने से अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी कब्जा काश्त के खेत होते हुए किसी प्रकार का बैंक ऋण वगैराह नहीं ले सकने से आर्थिक नुकसान हो रहा है। उक्त खेत की भूमि में प्रार्थी का कोई हक अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र में प्रथम दृष्टयां मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थी के पक्ष में है क्यों कि प्रार्थी को अप्रार्थी के पति स्व0 पुरखाराम ने कभी गोद नहीं लिया था। अप्रार्थी संख्या 1 रेकर्डेड खातेदार होने से सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में है इसी प्रकार किसी भी प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण के द्वारा जारी की जाती है तो अपूरणीय क्षति

भी अप्रार्थी संख्या 1 को होगी। अतः प्रार्थी हस्तगत प्रकरण में किसी भी प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपील दलीलें पेश करते हुये पुनः निवेदन किया कि अप्रार्थी का यह कहना गलत है कि खसरा नं. 1190/515 अप्रार्थी संख्या 1 की स्व अर्जित भूमि है तथा गोदनामा के दस्तावेज फर्जी है या नही ? यह साक्ष्य का विषय है। अप्रार्थी संख्या 1 खातेदारी की आड़ अपने हक अधिकार की भूमि में से अधिक भूमि बेचान करने पर आमाद है जिससे प्रार्थी का हक हिस्से की भूमि भी प्रभावित हो रही है।

3. न्यायालय हाजा में मौजा बोड़वा तहसील जायल में खसरा नम्बर 484 रकबा 2.5738 हैक्टेयर , खसरा नम्बर 508 रकबा 2.8733 हैक्टेयर तथा ख.न. 1190/515 रकबा 0.8094 हैक्टेयर की भूमि के संबंध राजस्व वाद 300/2021 अन्तर्गत धारा 88, 188 का विचाराधीन है, जिन पर प्रार्थी के द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ प्रार्थना पत्र में की गई है। चूंकि पूर्व में प्रकरण हाजा में वकील प्रार्थी की एकपक्षिय बहस एंव प्रस्तुत दस्तावेज एवम् शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रथम दृष्टयां मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी पक्ष को होना प्रतीत होने से अप्रार्थी संख्या 1 से 2 को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 20.12.2021 से मौजा बोड़वा तहसील जायल में खसरा नम्बर 484 रकबा 2.5738 हैक्टेयर , खसरा नम्बर 508 रकबा 2.8733 हैक्टेयर तथा ख.न. 1190/515 रकबा 0.8094 हैक्टेयर की भूमि का बैचान, बक्शीस, हस्तान्तरण नहीं करने तथा राजस्व रिकॉर्ड, मौके की स्थिति में किसी प्रकार परिवर्तन नहीं करने हेतु पांबद किया गया ।
वकील अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा निवेदन किया गया कि न्यायालय द्वारा जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 20.12.2021 से मौजा बोड़वा तहसील जायल में खसरा नम्बर 484 रकबा 2.5738 हैक्टेयर , खसरा नम्बर 508 रकबा 2.8733 हैक्टेयर तथा ख.न. 1190/515 रकबा 0.8094 हैक्टेयर की भूमि का बैचान, बक्शीस, हस्तान्तरण नहीं करने तथा राजस्व रिकॉर्ड, मौके की स्थिति में किसी प्रकार परिवर्तन नहीं करने हेतु पांबद किये जाने से अप्रार्थी संख्या 1 के पति स्व. पुरखाराम के पुश्तैनी कब्जा खातेदारी भूमि मौजा बोड़वा के खसरा नम्बर 484 रकबा 2.5738 हैक्टेयर , खसरा नम्बर 508 रकबा 2.8733 हैक्टेयर के साथ –साथ अप्रार्थी संख्या 1 के खरीदशुदा खेत ख.न. 1190/515 रकबा 0.8094 हैक्टेयर अराजी भूमि भी प्रभावित हो रही है। जिससे अप्रार्थी खातेदार के खातेदारी अधिकार प्रभावित होने से खातेदारी लाभ से वंचित होना पड़ रहा है जबकि उक्त खसरान् भूमि उपरोक्तानुसार अप्रार्थी के पति स्व0 पुरखाराम के पैतृक खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि के साथ–साथ स्वअर्जित भूमि होने से प्रार्थी पक्ष का कोई भी हक /हिस्सा निहित नहीं होने से प्रार्थी हस्तगत प्रकरण में किसी भी प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दू एंव अपूरणीय क्षति का बिन्दू प्रार्थी पक्ष में नहीं है। इसके विपरित उक्त अराजी खरीदशुदा भूमि पर अन्तरिम निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 20.12.2021 प्रभावशील होने से अप्रार्थी संख्या 1 गीतादेवी को खातेदारी अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है। अतः न्यायालय द्वारा जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 20.12.2021 से मौजा बोड़वा तहसील जायल में खसरा नम्बर 484 रकबा 2.5738 हैक्टेयर , खसरा नम्बर 508 रकबा 2.8733 हैक्टेयर तथा ख.न. 1190/515 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि को अन्तरिम निषेधाज्ञा से प्रभावमुक्त करने का निवेदन किया ।

4. पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड, वकुलाय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। अधिवक्तागण की दलीलों एवं बहस पर मनन किया गया। न्यायालय हाजा में मौजा बोड़वा तहसील जायल में खसरा नम्बर 484 रकबा 2.5738 हैक्टेयर , खसरा नम्बर 508 रकबा 2.8733 हैक्टेयर तथा ख.न. 1190/515 रकबा 0.8094 हैक्टेयर की भूमि के संबंध राजस्व वाद 300/2021 अन्तर्गत धारा 88, 188 का विचाराधीन है, जिन पर प्रार्थी के द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ प्रार्थना पत्र में की गई है। चूंकि पूर्व में प्रकरण हाजा में वकील प्रार्थी की एकपक्षिय बहस एंव प्रस्तुत दस्तावेज एवम् शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रथम दृष्टयां मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी पक्ष को होना प्रतीत होने से अप्रार्थी संख्या 1 से 2 को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 20.12.2021 से मौजा बोड़वा तहसील जायल में खसरा नम्बर 484 रकबा 2.5738 हैक्टेयर , खसरा नम्बर 508 रकबा 2.8733 हैक्टेयर तथा ख.न. 1190/515 रकबा 0.8094 हैक्टेयर की भूमि का बैचान, बक्शीस, हस्तान्तरण नहीं करने तथा राजस्व रिकॉर्ड, मौके की स्थिति में किसी प्रकार परिवर्तन नहीं करने हेतु पांबद किया गया ।
वकील अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा निवेदन किया गया कि न्यायालय द्वारा जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 20.12.2021 से मौजा बोड़वा तहसील जायल में खसरा नम्बर 484 रकबा 2.5738 हैक्टेयर , खसरा नम्बर 508 रकबा 2.8733 हैक्टेयर तथा ख.न. 1190/515 रकबा 0.8094 हैक्टेयर

की भूमि का बैचान, बक्शीस, हस्तान्तरण नहीं करने तथा राजस्व रिकॉर्ड, मौके की स्थिति में किसी प्रकार परिवर्तन नहीं करने हेतु पांबद किये जाने से अप्रार्थी संख्या 1 के पति स्व. पुरखाराम के पुश्तैनी कब्जा खातेदारी भूमि मौजा बोड़वा के खसरा नम्बर 484 रकबा 2.5738 हैक्टेयर , खसरा नम्बर 508 रकबा 2.8733 हैक्टेयर के साथ –साथ अप्रार्थी संख्या 1 के खरीदशुदा खेत ख.न. 1190/515 रकबा 0.8094 हैक्टेयर अराजी भूमि भी प्रभावित हो रही है। जिससे अप्रार्थी खातेदार के खातेदारी अधिकार प्रभावित होने से खातेदारी लाभ से वंचित होना पड़ रहा है जबकि उक्त खसरान् भूमि उपरोक्तानुसार अप्रार्थी के पति स्व0 पुरखाराम के पैतृक खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि के साथ–साथ स्वअर्जित भूमि होने से प्रार्थी पक्ष का कोई भी हक /हिस्सा निहित नहीं होने से प्रार्थी हस्तगत प्रकरण में किसी भी प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। क्यों कि प्रार्थी को अप्रार्थी के पति स्व0 पुरखाराम ने कभी गोद नहीं लिया था। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दू एंव अपूरणीय क्षति का बिन्दू प्रार्थी पक्ष में नहीं है। इसके विपरित उक्त अराजी खरीदशुदा भूमि पर अन्तरिम निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 20.12.2021 प्रभावशील होने से अप्रार्थी संख्या 1 गीतादेवी को खातेदारी अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है। अतः न्यायालय द्वारा जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 20.12.2021 से मौजा बोड़वा तहसील जायल में खसरा नम्बर 484 रकबा 2.5738 हैक्टेयर , खसरा नम्बर 508 रकबा 2.8733 हैक्टेयर तथा ख.न. 1190/515 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि को अन्तरिम निषेधाज्ञा से प्रभावमुक्त करने का निवेदन किया । प्रकरण का अवलोकन किये अनुसार मौजा बोड़वा तहसील जायल में खसरा नम्बर 484 रकबा 2.5738 हैक्टेयर , खसरा नम्बर 508 रकबा 2.8733 हैक्टेयर तथा ख.न. 1190/515 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज है जिसमें से ख.नम्बर 1190/515 की भूमि अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं द्वारा स्वअर्जित खरीदशुदा एंव ख.न. 484 ,508 की भूमि अप्रार्थी के पति पुरखाराम के फौतगी नामा0 से जरिये विरासत से खातेदारी दर्ज हुई है जिस पर प्रार्थी द्वारा जरिये नोटेरीशुदा गोदनामा जो कि अप्रार्थी के पति पुरखाराम के द्वारा प्रार्थी को गोद लिये जाने का अभिकथन करते हुए गोदपुत्र के हैसियत से एंव ख.न. 1190/515 की भूमि स्व0 पुरखाराम के जीवनकाल में ही प्रार्थी के द्वारा संयुक्त आय से खरीदशुदा होना व रजिस्ट्री तत्समय अप्रार्थी संख्या 1 के नाम किया जाना दलील पेश करते हुए उक्त भूमि में से प्रार्थी के हक बंट व घोषणा खातेदारी , अस्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में राजस्व वाद संख्या 300/2021 अन्तर्गत धारा 88, 188 का विचाराधीन है। उपरोक्त विवेचन से न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 20.12.2021 से मौजा बोड़वा तहसील जायल में खसरा नम्बर 484 रकबा 2.5738 हैक्टेयर , खसरा नम्बर 508 रकबा 2.8733 हैक्टेयर तथा ख.न. 1190/515 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी के हक बंट तक प्रभावित भूमि को अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रभावी रखते हुए अप्रार्थी के हक बंट हिस्से की भूमि को अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रभाव मुक्त किया जाना न्यायसंगत एंव उचित प्रतित होता है।

– : : आदेश : : –

अतः न्यायालय द्वारा जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 20.12.2021 में मौजा बोड़वा तहसील जायल में खसरा नम्बर 484 रकबा 2.5738 हैक्टेयर , खसरा नम्बर 508 रकबा 2.8733 हैक्टेयर तथा ख.न. 1190/515 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि में से प्रार्थी के हक बंट की भूमि को अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रभावी रखते हुए शेष अप्रार्थी के हक बंट हिस्से की भूमि को अन्तरिम निषेधाज्ञा से प्रभावमुक्त करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 से 2 को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाता है कि वे मौजा मौजा बोड़वा तहसील जायल में खसरा नम्बर 484 रकबा 2.5738 हैक्टेयर , खसरा नम्बर 508 रकबा 2.8733 हैक्टेयर तथा ख.न. 1190/515 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी के हक बंट तक की भूमि का बैचान, बक्शीस, हस्तान्तरण नहीं करे तथा राजस्व रिकॉर्ड, मौके की स्थिति में किसी प्रकार परिवर्तन ताफैसला वाद तक नहीं करे।

आदेश आज दिनांक 27/6/2022 को मजमें आम लिखा जाकर सुनाया गया।

27/6/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर, जायल
जिला–नागौर